



गर्म होते आर्कटिक के कारण स्थानीय वन्य जीवों के लिए खतरा बहुत बढ़ गया है, इनमें प्रमुख हैं मस्क ऑक्स (कस्तूरी बैल)। वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि मस्क ऑक्स जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं और इनके लिए सबसे बड़ा संकट भोजन का है। हालांकि ये जीव बहुत थोड़े से भोजन पर भी जी लेंते हैं, पर वो भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है, कारण है ग्लोबल वॉर्मिंग। असल में सर्दी में जब उत्तरी ग्रीनलैंड में बर्फ होती है तो मस्क ऑक्स भोजन की तलाश में दक्षिणी भाग में चले जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ग्रीनलैंड में गर्मियों में ज्यादा गर्मी, बरसात में ज्यादा बारिश और सर्दी में ठंड और ज्यादा पड़ने लगी है, जिसकी वजह से उत्तरी भाग में बर्फ ज्यादा हो गई है, खासकर ठोस बर्फ, जिसके कारण ये पशु दक्षिण में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में उनके बच्चों के भूखे मर जाने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं, गर्मी में मस्क ऑक्स उत्तर की तरफ जाते हैं, लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में वे उत्तर दिशा में और आगे तक जा तो सकते हैं पर अन्ततः आर्कटिक के अंतिम उत्तरी छोर पर पहुँचने के बाद उनके पास जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। डैनमार्क के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मस्क ऑक्स का अध्ययन करने के लिए ग्रीनलैंड की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने मस्क ऑक्स को नाक से ठोस बर्फ को तोड़ने की असफल कोशिश करते देखा, ताकि बर्फ में दबी घास खा सकें। टीम के सदस्य कार्स्टन प्रोन्डाल ने कहा कि "ये बैल डीली पाउडर जैसी बर्फ को तो हटा देते हैं पर उत्तरी ग्रीनलैंड में ठोस बर्फ ज्यादा है जिसे वो हटा नहीं पाते।" शोधकर्ताओं ने कहा कि "हमारे जाकनबर्ग रिसर्च स्टेशन के आसपास ही गत 20 सालों में आर्कटिक की जलवायु में काफी बदलाव आया है। गर्मी के मौसम में तापमान तीन से छः डिग्री तक बढ़ गया है। तापमान बढ़ने का अर्थ है कि इस क्षेत्र में नए परजीवी पनप सकते हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं। कैंडेडा में तो मस्क ऑक्स में एक नई बीमारी भी देखी गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रजाति पर दबाव बढ़ता जा रहा है और यह विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही है।"

महंगाई के खिलाफ होने वाली देशव्यापी रैली की तैयारियों को परखने माकन आएंगे जयपुर

मंगलवार दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक होगी

जयपुर, 29 नवम्बर (का.प्र.)। महंगाई के खिलाफ अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस पार्टी 12 दिसंबर को दिल्ली में देशव्यापी विशाल रैली करने जा रही है। रैली में जहां देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे तो इसे सफल बनाने के लिए राजस्थान को भीड़ जुटाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे भी मंत्री पद से हटने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास

अब संगठन की जिम्मेदारी बची है। अतः अब वे दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए पूरा समय दे रहे हैं। राजस्थान की सीमाएं दिल्ली से जुड़ी हैं। ऐसे में इस महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली में प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी इसे लेकर सक्रिय हो गई है और इस रैली को सफल बनाने के लिए राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के साथ चर्चा कर चुके हैं।

रैली की तैयारियों को परखने के लिए राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन भी मंगलवार को जयपुर आ रहे हैं। वे इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस

मुख्यालय पर बैठक लेंगे।

इस रैली की सफलता सरकार और संगठन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रैली के 2 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकर रैली को सफल बनाने का आह्वान मीडिया के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री

अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में होने वाली बैठक को सफल बनाने के लिए मंत्रियों, विधायकों, विधायक प्रत्याशियों,

सांसद प्रत्याशियों, पीसीसी पदाधिकारियों और निवर्तमान जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक के जरिए इन सभी नेताओं के साथ राजस्थान कांग्रेस के तीनों प्रमुख नेता ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाने का रोड मैप तैयार करेंगे।

वैसे भी दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैलियों में राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब पर ही सबसे ज्यादा भीड़ ले जाने का दायरेदार रहता आया है क्योंकि यह तमाम प्रदेश दिल्ली से नजदीक पड़ते हैं। यही कारण है कि राजस्थान से रैली में 30-35 हजार लोगों को ले जाने की तैयारियों की जा रही है।

यू-टर्न से सभी खुश नहीं सरकार में

रेणु मिश्रल-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 29 नवम्बर। संसद सत्र का पहला दिन कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तथा मोदी सरकार द्वारा हमला किये जाने के नाम रहा। सरकार ने तीनों कृषि कानून बिना किसी चर्चा के वापस ले लिये तथा विपक्ष को जबरदस्ती खामोश कर दिया। विपक्ष इन कानूनों तथा उन किसानों की

इन्हें नौकरी दी भी जाती है तो ये नौकरी लेंगे नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो राजनीति में जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड़ा को उत्तर प्रदेश के युवाओं में तबज्जो मिलती रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने की स्थिति में राज्य में 20 लाख नौकरियों देने का वादा भी किया है। उक्त महासंघ के

इसके शीर्ष बाद ही, राज्यसभा के सभापति ने कांग्रेस, टी.एम.सी. तथा शिवसेना के 12 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। शीतकालीन आज ही शुरू हुआ था। यह निलम्बन मानसून सत्र के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. सतीश मिश्रा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 29 नवम्बर। संसदीय परम्पराओं के प्रतिभोर-असम्मान दर्शाते हुए अन्तर्गत, राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों को मानसून सत्र के अंतिम दिन उनके कथित "उद्दण्ड" व्यवहार के परिणामस्वरूप आज शुरू हुये शीतकालीन सत्र से निलम्बित कर दिया गया।

पूरी दुनिया के संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करने या उस पर ध्यान देने से इंकार करते हुये, सत्तापक्ष द्वारा पेश किये गये निलम्बन प्रस्ताव में कहा गया, "इन सांसदों ने दुराचरण, तिरस्कारपूर्ण, उग्र तथा अनियंत्रित व्यवहार तथा सुरक्षाकर्मियों पर इरादतन हमलों के अभूतपूर्व कृत्य स्वैच्छया किया था।"

निलम्बित सांसदों की सूची में शामिल हैं- शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी तथा अनिल देसाई, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन तथा शान्ता क्षेत्री, सी.पी.एम. के एलना राम करीम तथा कांग्रेस के छः सांसद।

एक संयुक्त बयान में विपक्ष ने कहा है कि यह निलम्बन "अनुचित, अकारण एवं अलोकतांत्रिक" है। सभी विपक्षी दलों के राज्यसभा कल एक मीटिंग करके आगे की रणनीति बनायेंगे।

साथ ही पिछले मानसून सत्र में सदन में हाथापाई, महिला मार्शल के साथ अभद्रता आदि "अपराधों" के कारण राज्यसभा के बारह सांसद निलंबित किये गये

विपक्ष ने भी पलटवार में सरकार पर आरोप लगाया कि, चुनाव की दृष्टि से चयन करके सांसदों को निलंबित किया गया है। उदाहरण के लिये आप पार्टी के संजय सिंह को निलंबित नहीं किया गया, हालांकि हंगामे के वीडियो में संजय सिंह को हाथ में काला झण्डा लेकर राज्यसभा सचिवालय के स्टाफ की टेबलों पर चढ़कर नाचते हुए साफ देखा जा सकता है। सरकार आप पार्टी के सांसद को हीरो नहीं बनाना चाहती थी, पंजाब के चुनाव में।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, तृणमूल कांग्रेस ने संयुक्त विपक्ष के उस पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, जिसमें विपक्ष की पार्टियों का, कल बैठक कर, सांसदों के निलंबन पर रणनीति तय करने के लिये मंथन करने का आह्वान किया गया है।

विपक्ष में यह भी चर्चा का विषय है कि, जिस रूल के तहत इन सांसदों को निलंबित किया गया है, उसमें साफ लिखा है कि, सांसद का निलंबन केवल संसद के शेष "पीरियड" के लिये ही हो सकता है और हंगामे की घटना पिछले सत्र की है।

लेकिन, इस पत्र पर तृणमूल कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की मीटिंग में भी शामिल नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती सत्र में किये गये काम के लिये, नए सत्र में सांसदों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का अब तक कोई पूर्वादाहरण नहीं है। नियम 256, जिसके तहत वे निलम्बित किये गये हैं, कहता है कि किसी सांसद को "उस अवधि के लिये निलम्बित किया जा सकता है, जो उस सत्र की शेष अवधि से ज्यादा न हो।"

इस नियम का उल्लेख करते हुये, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि अगर यह निलम्बन वापस नहीं लिया गया तो विपक्ष पूरे शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करेगा। अस्त-व्यस्त स्थिति में चला मानसून सत्र, जिसमें "पैगास स्पार्ड वेअर" के मुद्दे पर चर्चा की माँग को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी चल रही थी, स्तब्ध कर देने वाली उग्रता तथा महिलाओं की हाथापायी के आरोपों के बीच 11

अगस्त को समाप्त हुआ था। सदन की स्थिति विस्फोटक हो गई थी, क्योंकि जनरल इन्वयोरन्स बिजनैस (नैशनलाइजेशन) अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांगों के बावजूद, इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। सदन की कार्यवाही की सी.सी.टी.वी. फुटेज, विपक्षी सदस्यों को राज्यसभा के अंदर सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई करते हुये दिखा रही हैं। काले झंडे लिये हुये सांसद मेजों पर चढ़े हुये तथा फाइलों तथा कागजातों को बिखेरते

हुये दिखाई दे रहे थे। जहाँ सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने महिला मार्शलों से हाथापाई की, वहीं विपक्ष ने एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि "विपक्षी नेताओं तथा सदस्यों, जिनमें महिला सांसद भी शामिल थीं, से हाथापायी करने के लिये" बाहरी लोग "अंदर लाये गये थे।" सरकार ने विपक्ष के इन दावों को खंडन किया कि "बाहरी लोग" अंदर लाये गये थे, तथा अन्ततः इस मामले को जाँच के लिये सांसदों की एक विशेष

कमेटी को सौंप दिया गया था। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की किसी भी कमेटी से अलग रही थी तथा उसने कहा था कि जाँच के जरिये सांसदों को डरा-धमका कर खामोश करने की कोशिश समाहित रहेगी।

राज्यसभा की सिक्वोरिटी रिपोर्ट का कहना है कि एक सांसद ने हाथापाई की थी तथा "एक पुरुष मार्शल का गला बुरी तरह दबा दिया गया तथा सुरक्षा घेरे को तोड़ने के उद्देश्य से उसे अंदर घसीट लाया गया था।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि महिला सांसदों ने एक महिला मार्शल को "खींचा तथा घसीटा" था तथा सदन के "वैल" में उस पर हमला बोला था।

किसान पिछले एक वर्ष से जिन तीन कृषि बिलों को लेकर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करते आ रहे थे, उन्हें रद्द करने के प्रति बहुत कम आदरभाव दर्शाया गया। संसद के सोमवार के मिनिट्स पर गौर कीजिए। लोकसभा में सुबह पारित किए गए विधेयक को दोपहर के भोजन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पारित कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जो कि इन विधेयकों को वापस लेकर पहले ही बैकफुट पर है, बहस की मांग की थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सैन्ट्रल विस्टा' का निर्माण क्यों?

जाल खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 29 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्र सरकार से कहा कि वह देश की राजधानी में निर्माण कार्य पर 24 नवम्बर को लगाए गए प्रतिबन्ध के बावजूद सैन्ट्रल विस्टा में जोर-शोर से चल रहे निर्माण कार्य के बारे में अगली सुनवाई तिथि 2 दिसम्बर तक स्थिति स्पष्ट करे।

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली एक विशेष बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो दिसम्बर तक जवाब मांगा कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्स्ट्रक्शन पर लगाये गये प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य कैसे जारी है।

समक्ष दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान समने आया। यह याचिका दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली के एक 17 वर्षीय छात्र ने दायर की थी। कोर्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दोनों सदनों ने पांच-पांच मिनट दिये कृषि विधेयकों को

जाल खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 29 नवम्बर। चार सप्ताह चलने वाला संसद का शीतकालीन बड़े हंगामे, उतेजना एवं क्षोभ में शुरू हुआ तथा पहले लोकसभा

खड़गो राज्यसभा में, विधेयकों के पक्ष में दिये गये धरनों में 700 किसानों की मृत्यु की बात शुरू कर ही रहे थे कि, राज्यसभा के उपसभापति ने टोक कर बहस को रूकवाया।

में तथा उसके बाद राज्यसभा में वह विधेयक, किसी तरह की चर्चा कराये बिना, पाँच-पाँच मिनट में पारित हो, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान का "साइड शो" लखनऊ में

श्रीनन्द झा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 29 नवम्बर। उत्तर प्रदेश की बड़ी चुनावी लड़ाई में राजस्थान का कोण भी जुड़ गया है। मरु-प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के एक गुप ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है तथा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी

वाड़ा से भेंट करने की माँग की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जयपुर में इस महीने के शुरू में 47 दिवसीय विरोध-प्रदर्शन कर चुका है। गुप की माँग थी कि उन रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ प्रदान की जायें, जिनकी भर्ती हेतु राजस्थान सरकार परीक्षाएँ आयोजित कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोध प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं से समझौता-वार्ता करने अपने नवनियुक्त सलाहकार दानिश अबरार को भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला तथा इस गुप ने 23 नवम्बर को अपना धरना-स्थल

लखनऊ को बना लिया। जाहिर है कि यह घटना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिये परेशानी का कारण बन गई है, जो पार्टी की अंदरूनी खींचतान के कारण लम्बे समय से परेशान चल रहे हैं। मुख्यमंत्री इस कदम को उनके "राजनैतिक विरोधियों द्वारा प्रेरित कदम" मान रहे हैं। गहलोत का

उन्हें नौकरी दी भी जाती है तो ये नौकरी लेंगे नहीं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो राजनीति में जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड़ा को उत्तर प्रदेश के युवाओं में तबज्जो मिलती रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने की स्थिति में राज्य में 20 लाख नौकरियों देने का वादा भी किया है। उक्त महासंघ के

बेरोजगार युवकों ने लखनऊ में धरना दिया, प्रियंका गांधी से मिलने के लिये। अटपटी स्थिति बनती देख, मु. मंत्री ने सलाहकार दानिश अबरार को जिम्मेवारी सौंपी, इन युवकों से बातचीत करने के लिये।

कहना है कि राजस्थान में सभी राज्यों से ज्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। आंदोलन-स्थल के रूप में लखनऊ का चयन करने का उनका कदम आश्चर्य क्या बताता है? गहलोत ने आगे कहा कि युवाओं के इस गुप की रूचि नौकरियों से कहीं ज्यादा राजनीति में है। "उन्होंने कहा, "अगर

कमेटी को सौंप दिया गया था। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की किसी भी कमेटी से अलग रही थी तथा उसने कहा था कि जाँच के जरिये सांसदों को डरा-धमका कर खामोश करने की कोशिश समाहित रहेगी।

राज्यसभा की सिक्वोरिटी रिपोर्ट का कहना है कि एक सांसद ने हाथापाई की थी तथा "एक पुरुष मार्शल का गला बुरी तरह दबा दिया गया तथा सुरक्षा घेरे को तोड़ने के उद्देश्य से उसे अंदर घसीट लाया गया था।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि महिला सांसदों ने एक महिला मार्शल को "खींचा तथा घसीटा" था तथा सदन के "वैल" में उस पर हमला बोला था।

किसान पिछले एक वर्ष से जिन तीन कृषि बिलों को लेकर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करते आ रहे थे, उन्हें रद्द करने के प्रति बहुत कम आदरभाव दर्शाया गया। संसद के सोमवार के मिनिट्स पर गौर कीजिए। लोकसभा में सुबह पारित किए गए विधेयक को दोपहर के भोजन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पारित कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जो कि इन विधेयकों को वापस लेकर पहले ही बैकफुट पर है, बहस की मांग की थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने कैसे त्रिपुरा में सूपड़ा साफ किया तृणमूल कांग्रेस का?

जो दवा तृणमूल ने भाजपा को दी थी बंगाल के चुनाव में, उसकी ही "डोज" भाजपा ने दी तृणमूल को त्रिपुरा में

अंजन रॉय-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 29 नवम्बर। पूर्वोत्तर के छोटे से राज्य त्रिपुरा में पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने और राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाली चुनावी स्थिति पहले कभी नहीं रही। त्रिपुरा के नगरपालिका चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत और जबरन राज्य में घुसपैठ करने वाली तृणमूल कांग्रेस और सी.पी.आई.(एम) को मिली पराजय ने ममता बनर्जी के एक राष्ट्रीय नेता बनने की सभी उम्मीदों को धूल-धूसरित कर दिया है।

ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर की नेता बनने का अभियान जोर शोर से चला रही हैं। बेलगाम एवं अन्य पार्टियों से टुकड़ाए गए नेता राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बनने के लिए ममता बनर्जी पार्टी में शामिल होने को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इनमें से प्रथम उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। उनके बाद कई नेता तृणमूल में शामिल हुए। अंतिम थे हरियाणा के अशोक तंवर और पवन वर्मा।

त्रिपुरा के चुनाव वह मानदंड बन गए हैं जिनसे राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी के रूतबे व स्थिति के दावे का

तृणमूल ने बंगाल के चुनाव में जीत के बाद, हिंसा का खुला ताण्डव किया था। भाजपा कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मारे गये या भाग गये। भाजपा ने भी तृणमूल के साथ ऐसा ही बर्ताव किया त्रिपुरा में।

बंगाल में जीत के बाद, ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका देखने लगी थीं तथा तृणमूल के नेता डैरेक ओ'ब्रायन कहने लगे थे, अब बंगाली प्रधानमंत्री का समय आ गया है।

कई बुझे कारतूस जिनकी शुरुआत हुई थी, यशवंत सिन्हा से, व हरियाणा के अशोक तंवर एवं लेखक व विचारक पवन वर्मा भी "लेटेस्ट आगमन" थे, जिनके तृणमूल में शामिल होने से ममता के राष्ट्रीय नेता होने की महत्त्वाकांक्षा को काफी हवा मिली थी।

इस महत्त्वाकांक्षा की उड़ान में पहला पड़ाव त्रिपुरा को होना था। परन्तु त्रिपुरा में तृणमूल एवं मार्क्सवादी पार्टी की हार ने महत्त्वाकांक्षा को कुचल दिया।

बंगाल व त्रिपुरा में भाजपा की रणनीति में एक बड़ा फर्क था। बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान में केन्द्रीय नेता हावी थे, पर त्रिपुरा में चुनाव अभियान व संचालन पूर्णतया स्थानीय नेताओं के हाथ में रहा तथा केन्द्र से हस्तक्षेप नगण्य रहा।

आकलन किया जा सकता है। इसके परिणाम अब उसका खण्डन कर चुके हैं। कुछ अन्य तवाहियों ने बंगाल को इस सुपर स्टार के पविष्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता के राइट हैंड एवं चुनाव एजेंट शेख सुफ़ीयान की हत्या के एक केस में जमानत याचिका रद्द कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि केस के तथ्यों और साक्ष्य को देखते हुए हत्या के संदिग्ध आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जा सकती।

ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर हार गई थी, वहां के एक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता की चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या कर दी गई थी। सुफ़ीयान ने सी.बी.आई. जांच के लिए होने वाली अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी और हाई कोर्ट ने अब ममता को परेशानी में डालते हुए जमानत मंजूर किए जाने से इंकार कर दिया है। त्रिपुरा के नगर पालिका चुनाव एक से अधिक कारणों को लेकर सुविधियों में रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अपने कद से भी अधिक बहु प्रचारित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस महत्त्वाकांक्षा की उड़ान में पहला पड़ाव त्रिपुरा को होना था। परन्तु त्रिपुरा में तृणमूल एवं मार्क्सवादी पार्टी की हार ने महत्त्वाकांक्षा को कुचल दिया।

बंगाल व त्रिपुरा में भाजपा की रणनीति में एक बड़ा फर्क था। बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान में केन्द्रीय नेता हावी थे, पर त्रिपुरा में चुनाव अभियान व संचालन पूर्णतया स्थानीय नेताओं के हाथ में रहा तथा केन्द्र से हस्तक्षेप नगण्य रहा।

आकलन किया जा सकता है। इसके परिणाम अब उसका खण्डन कर चुके हैं। कुछ अन्य तवाहियों ने बंगाल को इस सुपर स्टार के पविष्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता के राइट हैंड एवं चुनाव एजेंट शेख सुफ़ीयान की हत्या के एक केस में जमानत याचिका रद्द कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि केस के तथ्यों और साक्ष्य को देखते हुए हत्या के संदिग्ध आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जा सकती।

ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर हार गई थी, वहां के एक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता की चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या कर दी गई थी। सुफ़ीयान ने सी.बी.आई. जांच के लिए होने वाली अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी और हाई कोर्ट ने अब ममता को परेशानी में डालते हुए जमानत मंजूर किए जाने से इंकार कर दिया है। त्रिपुरा के नगर पालिका चुनाव एक से अधिक कारणों को लेकर सुविधियों में रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अपने कद से भी अधिक बहु प्रचारित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस महत्त्वाकांक्षा की उड़ान में पहला पड़ाव त्रिपुरा को होना था। परन्तु त्रिपुरा में तृणमूल एवं मार्क्सवादी पार्टी की हार ने महत्त्वाकांक्षा को कुचल दिया।

बंगाल व त्रिपुरा में भाजपा की रणनीति में एक बड़ा फर्क था। बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान में केन्द्रीय नेता हावी थे, पर त्रिपुरा में चुनाव अभियान व संचालन पूर्णतया स्थानीय नेताओं के हाथ में रहा तथा केन्द्र से हस्तक्षेप नगण्य रहा।

आकलन किया जा सकता है। इसके परिणाम अब उसका खण्डन कर चुके हैं। कुछ अन्य तवाहियों ने बंगाल को इस सुपर स्टार के पविष्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता के राइट हैंड एवं चुनाव एजेंट शेख सुफ़ीयान की हत्या के एक केस में जमानत याचिका रद्द कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि केस के तथ्यों और साक्ष्य को देखते हुए हत्या के संदिग्ध आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जा सकती।

ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर हार गई थी, वहां के एक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता की चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या कर दी गई थी। सुफ़ीयान ने सी.बी.आई. जांच के लिए होने वाली अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी और हाई कोर्ट ने अब ममता को परेशानी में डालते हुए जमानत मंजूर किए जाने से इंकार कर दिया है। त्रिपुरा के नगर पालिका चुनाव एक से अधिक कारणों को लेकर सुविधियों में रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अपने कद से भी अधिक बहु प्रचारित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस महत्त्वाकांक्षा की उड़ान में पहला पड़ाव त्रिपुरा को होना था। परन्तु त्रिपुरा में तृणमूल एवं मार्क्सवादी पार्टी की हार ने महत्त्वाकांक्षा को कुचल दिया।

बंगाल व त्रिपुरा में भाजपा की रणनीति में एक बड़ा फर्क था। बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान में केन्द्रीय नेता हावी थे, पर त्रिपुरा में चुनाव अभियान व संचालन पूर्णतया स्थानीय नेताओं के हाथ में रहा तथा केन्द्र से हस्तक्षेप नगण्य रहा।

आकलन किया जा सकता है। इसके परिणाम अब उसका खण्डन कर चुके हैं। कुछ अन्य तवाहियों ने बंगाल को इस सुपर स्टार के पविष्य पर प्रहार करना शुरू कर दिया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता के राइट हैंड एवं चुनाव एजेंट शेख सुफ़ीयान की हत्या के एक केस में जमानत याचिका रद्द कर दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि केस के तथ्यों और साक्ष्य को देखते हुए हत्या के संदिग्ध आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जा सकती।

ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर हार गई थी, वहां के एक प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता की चुनाव बाद हुई हिंसा में हत्या कर दी गई थी। सुफ़ीयान ने सी.बी.आई. जांच के लिए होने वाली अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी और हाई कोर्ट ने अब ममता को परेशानी में डालते हुए जमानत मंजूर किए जाने से इंकार कर दिया है। त्रिपुरा के नगर पालिका चुनाव एक से अधिक कारणों को लेकर सुविधियों में रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अपने कद से भी अधिक बहु प्रचारित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस महत्त्वाकांक्षा की उड़ान में पहला पड़ाव त्रिपुरा को होना था। परन्तु त्रिपुरा में तृणमूल एवं मार्क्सवादी पार्टी की हार ने महत्त्वाकांक्षा को कुचल दिया।